

21/5  
25

पत्रावली पेश। वकील वादी हाजिर। पत्रावली  
में पूर्व में भी वकील वादी को अंतिम  
टिप्पणत की गई थी कि आगामी पेशी पर  
वामिल की रसीदें पेश करे, अन्यथा आदेश  
9 नियम 5 के तहत आदेश पारित किया  
जायेगा लेकिन वकील वादी ने आज  
दिनांक तक वामिल की रसीदें पेश नहीं  
की। अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम  
5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फैसल नुमा होकर नम्बर से कम  
होकर वाखिल दफ्तर हो।

Handwritten Signature

उपब्रण्ड अधिकारी  
दातारामगढ़ (सीकर)